

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

आ दे श

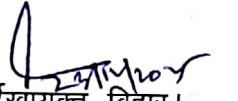
ज्ञापांक-01/विकास-16316/2024-2310/संका

पटना, दिनांक- 24 दिसम्बर, 2025

निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के द्वारा उनके पत्रांक-280 दिनांक-29.07.2025 के माध्यम से वर्तमान में विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1095/ई.का. दि०-24.10.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए राज्य में वर्गीकृत 16 गन्ना प्रभेद यथा-CoP 16437 (Rajendra Ganna-1), CO-0238, CO-0118, CoP-9301, CoLK-94184, Co-98014, BO-153, CoLK-12207, CoLK-12209, CoP-112, Co-15023, CoLK-14201, CoS-13235, CoLK-15466, CoLK-16466, CoLK-16470 के अतिरिक्त 03 प्रभेद यथा CoP 09437 (Rajendra Ganna-2), CoP 11438 (Rajendra Ganna-5) एवं CoP 17437 (Rajendra Ganna-8) को विभागीय योजनांतर्गत चयनित प्रभेद की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया। उक्त आलोक में चीनी मिल, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के विशेषज्ञ के साथ विमर्श किया गया। उक्त तीनों प्रभेद के संबंध में लिया गया निर्णय निम्नवत् है-

1. राजेन्द्र गन्ना-2 को सामान्य श्रेणी तथा राजेन्द्र गन्ना-5 एवं 8 को उत्तम श्रेणी में रखा जायेगा।
2. विभाग द्वारा चयनित प्रभेद की सूची में शामिल करने के पूर्व आलोचित तीनों प्रभेदों यथा- राजेन्द्र गन्ना-2, 5 एवं 8 का ट्रायल चीनी मिल के फार्म पर किया जाएगा तथा इसके लिए ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) के द्वारा कुछ मात्रा में गन्ना बीज सभी चीनी मिलों को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. राजेन्द्र गन्ना-8 प्रभेद को चयनित सूची में शामिल करने के पूर्व रिलीज संबंधी गजट निर्गत होना आवश्यक होगा।
4. फीडबैक के आधार पर अगले वर्ष से विभागीय कार्यक्रम में अंतर्गत प्रजनक/आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन करने की सूची में शामिल किया जायेगा।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

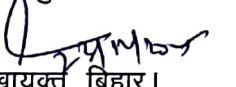

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16316/2024-2310/संका

पटना, दिनांक- 24 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि- निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/मुख्यालय के सभी सहायक निदेशक/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा महाप्रबंधक, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

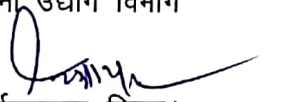
2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16316/2024-2310/संका

पटना, दिनांक- 24 दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।